बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांकः–3 / कृ०बजट विविध –30 / 2018 3167 कृ0 पटना दिनांकः–24/8/2018

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय– **बैंक खातों में संचित एंव अव्यवहृत राशि की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संधारित बैंक खातों में लंबी अवधि से संचित अव्यवहृत राशि को सरकारी कोष में जमा करके अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने का आदेश था, उसका अनुपालन करते हुए अबतक कितने बैंक खातों को बंद किया गया है, इसकी समीक्षा करते हुए दिनाक–24.08.2018 तक इसकी सूचना निम्न प्रपत्र में भरकर कृषि निदेशक (diragri-bih@nic.in) एवं प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग (nagendrasahani.agriculture@gmail.com) के ई–मेल पर शीघ्र भेजी जाए, तथा निदेश दिया जाता है कि दिनांक–25.08.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में उक्त सूचना हार्ड कॉपी में तैयार कर उपलब्ध कराई जाए।

जिला का नाम	कार्यालय का नाम	बैंक / ब्राँच का नाम	खाता संख्या	कुल संचित राशि	अभ्युक्ति

कृपया दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन,

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3167 / कृ०, पटना, दिनांक 24/8/ 2018

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निदेश देते हुए वांछित सूचना प्राप्त कर दिनांक–25.08.2018 की मासिक बैठक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।